न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 39/2024

साहब राम पुत्र श्री सुखराम जाति नाई आयु 65 वर्ष निवासी 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुखराम जाति नाई निवासी 23 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. रामेश्वर लाल पुत्र श्री सुखराम जाति नाई आयु 65 वर्ष निवासी 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, राजस्व श्रीगंगानगर ।

– –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता – – प्राथी
2. श्री संजय जनवेजा – – – अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :–25.11.2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है, काश्तकारी पेशा है। प्रार्थी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 23 जी. जी. के खाता सं. 134/35 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 16 ता 21 मे 1.2710 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 11, 12 सालम, किला नं. 13/1 में 0.1270 हैक्टयर नहरी कुल 0.6330 हैक्टयर कुल दोनो मुरब्बा नं. 1.9040 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2073 – 2076 शामिल प्रार्थना पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 23 जी. जी. के खाता सं. 16/35 के पत्थर नं. 0 के नं. 46 के किला नं. 6 में 0.1520 है0 नहरी, किला नं. 7 में 0.2530 है0, मुरब्बा किला नं. 8/2 में 0.1820 है0, किला नं. 13/2 में 0.1260 है0, किला नं. 14 में 0.2530 है0, किला नं. 15 में 0.1520 है0 कुल 1.1180 हैक्टयर नहरी राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 शामिल प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिए मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 जो नहरी विभाग की भूमि है जिसमे पूर्व में नहर चलती थी लेकिन मौजूदा समय मे नहर की जगह पक्की सड़क बनी हुई है जो आगे चक 8

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

एल.एल. 9 एल. एल. को जोड़ती है। इस मुरब्बा के किला नं. 15 मे से किला नं. 14 व किला नं. 13 मे से होकर अपने किला नं. 13/1 मे प्रवेश करता है इस रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपने खेत मे आने–जाने के लिए अन्य कोई नजदीक या दुरूस्त रास्ता नहीं है। इस समय कि फसल हाड़ी – सावणी के वक्त उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे मंजूर नहीं होने के कारण अप्रार्थी जो प्रार्थी का सग्गा भाई है वह रास्ता में रूकावट पैदा कर देता है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत मे आने–जाने के लिए बड़ी समस्या होती है इस कारण इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर किया जाना आवश्यक व जरूरी है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी सं. 1 से कहा कि वह इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे मंजूर करवाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दे तथा इस रास्ता की भूमि के बदले मे प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल.सी. की दुगुनी राशि देने को तैयार है। पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गया और कहने लगा कि मैं तो ना तो इस चालू रास्ता को मंजूर करवाता हूँ और ना ही तुम्हारे पक्ष में रास्ता मंजूर करवाने के लिए सहमति के ब्यान करता हूँ तुम्हे जो करना है सो करो, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है जो प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ हासिल हुआ है। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समय उचित मे समुचित कोर्टफीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 जी.जी. के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 15 14 सालम व किला नं. 13 में 10 बिस्वा कुल 2 बीघा 10 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जावे प्रार्थी इस रकबा के बदले डी. एल. सी. की दुगुनी राशि देने को तैयार है। अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व मुझ प्रार्थी के पक्ष मे हो प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिमसें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 आंशिक स्वीकार है। यहां यह उल्लेखित करना आवश्यकता है, प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के आगे किला नम्बर 13/1, किला नम्बर 12 व किला नम्बर 11 में रास्ता मौका पर चल रहा है, जिसे भी स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। क्योंकि उक्त पूरा रास्ता अर्सा दराज से आपसी सहमति से चला आ रहा है उक्त रास्ता का प्रार्थी व अप्रार्थीगण तीनों उपयोग उपभोग करते हैं। काउन्टर क्लेम– प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है, उससे आगे किला नम्बर 13/1 में 0.012 है०, किला नम्बर 12 में 0.025 है० तथा किला नम्बर 11 में 0.025 हैक्टेयर रास्ता मौका पर चल रहा है, इस रास्ता से अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आते जाते हैं । उक्त पूरा रास्ता अर्सा दराज से आपसी सहमति से चला आ रहा है उक्त रास्ता का प्रार्थी व अप्रार्थीगण तीनों उपयोग, उपभोग करते आ रहे हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के साथ साथ आगे का रास्ता भी स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। रास्ता के बदले में अप्रार्थी रामेश्वर लाल ने अपने मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 15 में से 0.011 हैक्टेयर भूमि दक्षिणी हिस्सा प्रार्थी साहब राम को दी हुई है तथा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 8 में से 0.052 हैक्टेयर भूमि पूर्वी दिशा में से अप्रार्थी ओमप्रकाश को दी हुई है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण को यह काउन्टर क्लेम पेश करने का वाद कारण प्राप्त है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउंटरक्लेम के अनुसार रास्ता स्वीकार किया जावे तो प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवम् प्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है। अतः

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटरक्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु निम्न प्रकार से रस्ता स्वीकार किया जाकर चक 23 जी जी के मुरबा नम्बर 46 के किला नं. 11/2(0.025 है.), 12(0.025 है.), 13/1(0.012 है.), 13/2(0.013 है.), 14(0.025 है.), 15(0.015 है.) रकबा दक्षिण दिशा में चल रहे रास्ता को स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर रास्ता के बदले में दी हुई अप्रार्थी रामेश्वर लाल की भूमि चक 23 जी जी के मुरबा नम्बर 45 के किला नम्बर 15 में से 0.011 हैक. भूमि दक्षिणी हिस्सा प्रार्थी साहबराम के नाम से तथा मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 8 में से 0.052 हैक. भूमि पूर्वी हिस्सा में से अप्रार्थी ओमप्रकाश के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक **25.11.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner